संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस विज्ञप्ति

संसद का अंतरिम बजट सत्र, 2024

1. संसद का अंतरिम बजट सत्र, 2024, जो बुधवार, 31 जनवरी, 2024 से आरंभ हुआ था, शनिवार, 10 फरवरी, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 11 दिनों की अवधि में 9 बैठकें हुईं। आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया था।

2. वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2024 को संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक को संबोधित किया। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा पेश किया गया और प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे की जगह 15 घंटे 28 मिनट का समय लिया गया। राज्य सभा में इसे सुश्री कविता पाटीदार ने पेश किया और श्री विवेक ठाकुर ने अनुमोदित किया और इस पर आबंटित 14 घंटे की जगह 15 घंटे 7 मिनट का समय लिया गया। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। इस विषय पर चर्चा में लोक सभा में 117 सदस्यों ने और राज्य सभा में 57 सदस्यों ने भाग लिया।

3. वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट गुरुवार, 1 फरवरी, 2024 को पेश किया गया। अंतरिम केंद्रीय बजट तथा वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतरिम बजट पर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा हुई। लोक सभा में वर्ष 2024-25 की लेखानुदान मांगों, वर्ष 2023-24 की अनुपूरक अनुदान मांगों (दूसरा बैच), वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की लेखानुदान मांगों, वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुपूरक अनुदान मांगों पर पूर्ण मतदान हुआ और संबंधित विनियोग विधेयक दिनांक 07.02.2024 को पुर:स्थापित, विचार और पारित किए गए। लोक सभा द्वारा उसी दिन वित्त विधेयक, 2024 भी पारित किया गया। इस मद पर लोक सभा में 10 घंटे 18 मिनट का समय लिया गया जिसमें 88 सदस्यों ने भाग लिया।

4. राज्य सभा में दिनांक 07.02.2024 को अंतरिम केंद्रीय बजट और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा हुई। राज्य सभा द्वारा वर्ष 2024-25 की लेखानुदान मांगों, वर्ष 2023-24 की अनुपूरक अनुदान मांगों (दूसरा बैच), वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की लेखानुदान मांगों, वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को बिना किसी सिफारिश के दिनांक 08.02.2024 को लोक सभा को लौटाया गया। राज्य सभा द्वारा उसी दिन वित्त विधेयक, 2024 को भी लौटाया गया। इस मद पर राज्य सभा में 6 घंटे 40 मिनट का समय लिया गया जिसमें 31 सदस्यों ने भाग लिया।

5. लोक सभा में वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर दिनांक 9.2.2024 को नियम 342 के तहत " भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव पर श्वेत पत्र" पर चर्चा हुई। इस चर्चा पर लोक सभा में 7 घंटे 25 मिनट का समय लिया गया। राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा नियम 176 के तहत हुई जिस पर सदन का 03 घंटे 50 मिनट का समय लगा।

6. इस सत्र के दौरान, कुल 10 विधेयक (7 लोक सभा में और 3 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। 12 विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए गए और 12 विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या 12 है। लोक सभा और राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए, लोक सभा द्वारा पारित, राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए और दोनों सदनों द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

7. लोक सभा की उत्पादकता लगभग 148% रही जबकि राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 137% रही।

8. माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने 17वीं लोक सभा के दौरान किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला:

(i) लोक सभा की 274 बैठकें हुई, जिसमें 202 विधेयक पेश किए गए और 222 विधेयक पारित किए गए। राज्य सभा की 271 बैठकें हुईं, जिनमें 31 विधेयक पेश किए गए और 220 विधेयक पारित किए गए। दोनों सदनों द्वारा कुल 221 विधेयक पारित किए गए जो अधिनियम बने।

(ii) 17वीं लोक सभा का पहला सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक था, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक सरोकार के लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित कानून पारित किए गए। उस सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए थे, जो नई लोक सभा के गठन के पश्चात अकेले पहले सत्र में एक कीर्तिमान है।

(iii) 17वीं लोक सभा के दौरान किए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करना था। यह जम्मू और कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेषकर भारत के संविधान और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों के प्रावधानों की प्रयोज्यता की बहाली के साथ, समान अवसर सुनिश्चित करता है ताकि

कानून और समानता का शासन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सृजन सहित पुनर्गठन किया गया था।

(iv) अनुच्छेद 85 की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा आवश्यक विधायी और अन्य कार्य का निष्पादन करने के लिए, मानसून सत्र, 2020 और बजट सत्र, 2021 का पहला भाग तथा बजट सत्र, 2022, बैठने संबंधी और लॉजिस्टिक्स संबंधी असाधारण व्यवस्था करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किए गए।

(v) गुलामी के युग में जड़ें जमा चुकी आपराधिक न्याय प्रणाली अब इतिहास हो चुकी है। अब, सजा पर न्याय को प्राथमिकता दी जाती है। देश को 'न्याय प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित एक नई न्याय संहिता मिली है। इस प्रयोजन हेतु, पीड़ित-केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयक अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए।

(vi) 26 नवंबर 2019 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान को अंगीकृत करने के 70 वर्षों के उपलक्ष्य में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की गरिमापूर्ण उपस्थिति में समारोह की शोभा बढ़ाई।

(vii) सितंबर, 2023 का महीना एक ऐतिहासिक अवसर था जब नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था जो 18 सितंबर, 2023 को पुराने संसद भवन में शुरू हुआ जहां दोनों सदनों में 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा- उपलब्धियां, अनुभव, स्मरण और सीख' विषय पर चर्चा हुई। प्रधान मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने 19 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कक्ष में उपस्थित संसद सदस्यों को संबोधित किया और तत्पश्चात सदनों ने नए संसद भवन में अपने-अपने कक्षों में अपनी कार्यवाही शुरू की। संसद की नई इमारत को ‘ संसद भवन’ का नाम दिया गया, जबकि केंद्रीय कक्ष सहित पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' का नाम दिया गया है।

(viii) सितंबर, 2023 के दौरान आयोजित संसद का विशेष सत्र एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं को नीति निर्धारण में अधिक भागीदारी का उपबंध करने के लिए लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 अर्थात संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023" पारित किया गया। लोक सभा में मतदान का पैटर्न यह रहा कि इसके पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 सदस्यों ने मतदान किया। राज्य सभा में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(ix) इस अवधि के दौरान, 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के तहत माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुपालन में, संसदीय कार्य मंत्रालय सभी विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन- नेवा" को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है। माननीय प्रधान मंत्री ने 26 नवंबर, 2020 को केवडिया (गुजरात) में 80वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान, सभी पीठासीन अधिकारियों से नेवा को शीघ्र अपनाने के लिए आह्वान किया था। माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी 31 जनवरी, 2021 को संसद के दोनों सदनों में अपने अभिभाषण के दौरान इस आह्वान को दोहराया गया था। अब तक 22 राज्य विधानमंडल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि 19 सदनों की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और अब तक 12 राज्य विधानमंडल नेवा के माध्यम से लाइव हो चुके हैं। संसद के दोनों सदनों सहित शेष विधानमंडलों में भी इसे शीघ्र लागू करने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

9. वर्तमान सरकार ने कानून की किताबों से पुराने, अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को हटाकर एक कीर्तिमान रचा है। 2014 से अब तक कुल 1562 पुराने और अनावश्यक कानूनों को निरस्त किया जा चुका है।

अनुबंध

17वीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 263वें सत्र (अंतरिम बजट सत्र, 2024) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I – लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2024
2. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
3. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
5. विनियोग विधेयक, 2024
6. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
7. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

II – राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
2. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

IV – लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
3. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
4. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
5. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
6. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
7. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
8. वित्त विधेयक, 2024
9. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
10. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
11. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
12.

V – राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
2. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
4. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
5. विनियोग विधेयक, 2024
6. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
7. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
8. वित्त विधेयक, 2024
9. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
10. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
11. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
12. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

VI– संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
2. विनियोग विधेयक, 2024

3. वित्त विधेयक, 2024
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
5. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
6. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
7. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
8. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
9. जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
10. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
11. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
12. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

XXXX